नम्बर अहकाम हुक्म में जा

लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बरः—114/2019 प्रार्थना पत्र
ेश्वर लाल पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी शाहपुरा रोड़, महुआकंला तहसील व जिला
पड़ा (राजस्थान) ———प्रार्थी

बनाम

जगदीश पिता कल्याण शर्मा, उम्र बालिग निवासी बड़ामहुआ तहसील व जिला भीलवाड़ा
गोविन्दकुमार पिता सुरेश कुमार शर्मा, उम्र बालिग निवासी 482—डी—आजादनगर, भीलवाड़ा
हसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
विवेक कुमार पिता दीपक गोयल, उम्र बालिग निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा
मुकेश कुमार पिता राधेशाम शर्मा, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील व जिला भीलवाड़ा
संजय कुमार पिता जसवंत सिंह बाबेल, उम्र बालिग निवासी काशीपुरी तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान)
ास्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः—22.7.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआकंला पटवार महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2027/5 रकबा 2 बीघा र्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कास्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न ते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये ढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने श प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.4.2019 को पंजीवद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलव किया गया। विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 3 की ओर से जवाव प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली या। विपक्षीगण उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5, व 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 19.7.2019 को एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा वहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा नी गयी । वहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे कास्त जियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कास्त करते समय, फसल काटते समय बत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कास्त की ात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

जवकि विपक्षी संख्या 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाव र कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के प्लाट काट विक्रय कर देने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय हित में प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के वीकार किया जाकर कि ग्राम महुआकंला पटवार हल्का महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में ज़ाल आराजी नम्बर 2027/5 रकबा 2 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये ा आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, महुआकंला को रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी ' जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी । पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner